



भारतीय राष्ट्रीय मानक संस्थान
NATIONAL STANDARDS BODY OF INDIA



सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय मानक ब्यूरो
भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
भोजा विषयक मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
उपभोक्ता मामले,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS
FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

हमारा संदर्भ: KKBO/सीएम/एल-5100294494
Our Ref: KKBO/CM/L- 5100294494

दिनांक/Date: 27.07.2026

विषय : भारतीय मानक आईएस IS 4948:2020 के अनुसार बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस संख्या 5100294494 की स्वीकृति।
Subject: Grant of BIS Certification Marks Licence No CM/L- 5100294494 as per IS 4948:2020.

मेसर्स तिरुपति फेंस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
पपियापारा, नियर देवदामल रोड, घोघोमली,
सिलीगुड़ी, घुगुमाली,
जिला - जलपाईगुड़ी - 734006,
पश्चिम बंगाल, भारत
M/S TIRUPATI FENCE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
PAPIYAPARA, NEAR DEWDAMAL ROAD, GHOGHOMALI,
SILIGURI, GHUGUMALI,
DISTRICT- JALPAIGURI - 734006,
WEST BENGAL, INDIA

प्रिय महोदय/महोदया,
Dear Madam(s)/Sir(s).

आपके आवेदन के संदर्भ में, हमें आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निम्नलिखित विषय को ध्यान में रखते हुए मानक मुहरांकन के उपयोग हेतु आप को प्रमाणन मुहरांकन लाइसेंस प्रदान किया गया है:

उत्पाद: वेल्डेड स्टील वायर फैब्रिक फॉर जनरल यूज
IS 4948:2020.

ग्रेड/वर्ग/प्रकार/प्रकृति

Welded Steel Wire Fabric for General use, Material of wire: Mild steel wire

With reference to your application, we are pleased to inform you that the Certification Marks Licence has been granted to you to use the Standard Mark in respect of the followings:

Product: - Welded Steel Wire Fabric for General Use
IS 4948:2020.

Grade/Class/Type/Variety

Welded Steel Wire Fabric for General use, Material of wire: Mild steel wire

1. इस लाइसेंस को प्रदान किया गया नंबर सीएम/एल- 5100294494 है, जो 15.07.2026 से ऑपरेटिव है और 14.07.2031 तक वैध है। यह अनुमति-पत्र पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया है, जिसमें केवल एक वर्ष का लागू शुल्क जमा किया गया है। इस पत्र के अनुच्छेद 6, 7 और 8 में दिए गए विवरण के अनुसार आवश्यक शुल्क प्रत्येक वर्ष जमा करना आवश्यक होगा। अविष्य के सभी पत्राचार में अनुमति-पत्र संख्या का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
The number assigned to this licence is CM/L- 5100294494 which has been made operative from 15.07.2026 and is valid up to 14.07.2031. This licence is granted for 5 years with applicable fee deposition of one year only. Requisite fee is required to be submitted annually with details as given at para 6, 7 and 8 of this letter. The licence number should invariably be referred to in your future correspondence.

2. लाइसेंस इस स्पष्ट शर्त पर दिया जाता है कि आप लाइसेंस के दायरे में आने वाले संपूर्ण उत्पादन को मानक चिह्न से चिह्नित करेंगे और प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप बनाए रखेंगे। तदनुसार, आप मानक चिह्न के साथ लाइसेंस के दायरे में पूरे उत्पादन को कवर करेंगे और प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप बनाए रखेंगे। इसके अलावा, आपको अपने परिसर में अपने पास मौजूद बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा और अपने वाणिज्यिक विज्ञापनों में भी अपने पास मौजूद बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस का उल्लेख करना होगा।
The licence is granted on the explicit condition that you shall mark entire production under scope of licence with Standard Mark and maintain conformity to the relevant Indian Standards. Accordingly, you shall cover the entire production under scope of licence with Standard Mark and maintain conformity to the relevant Indian Standards. In addition, you shall display the BIS product certification licence held by you prominently at your premises and also mention the BIS product certification licence held by you in your commercial advertisements.
3. भारतीय मानक ब्यूरो (मूल्यांकन की अनुरूपता) विनियमन, 2018 के तहत अनुसूची 2 के रकीम 1 के उप-नियमन (1) और (3) के पैरा 5 के अनुसार, वार्षिक लाइसेंस शुल्क 1000.00 है और बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम 2018 की रकीम 1 के अनुबंध-1 के अनुसार मानक चिह्न के उपयोग हेतु मुहरांकन शुल्क आपके द्वारा लाइसेंस की प्रभावी तिथि 15.07.2026 से लाइसेंस की वैधता की अवधि तक के लिए अग्रिम रूप से देय है।
According to sub-regulation (1) & (3) of Paragraph 5 of scheme I of Schedule II under Bureau of Indian Standards (Conformity of Assessment) Regulation, 2018, the annual licence fee of Rs. 1000.00 and the marking fee for use of standard mark as per Annexure-I of Scheme I of BIS (Conformity assessment) Regulation 2018 is payable by you with effect from 15.07.2026 for the period of validity of the licence in advance.
4. मानक मार्क के साथ रहने या अपने उत्पाद को मुहरांकित न करने की स्थिति में बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियमन 2018 की रकीम-1 के अनुसूची-1 में निर्धारित न्यूनतम मुहरांकन शुल्क आपके द्वारा देय है। लाइसेंस शुल्क के लिए प्राप्ति संख्या AA51PC2026000776 दिनांक 15.06.2026 है और पहले ऑपरेटिव अवधि के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क पहले ही जारी/संलग्न/अलग से भेजा जा रहा है।
Minimum marking fee stipulated in Annexure -I of scheme I of BIS (Conformity Assessment) Regulation 2018 is payable by you regardless of the whether you actually mark your product or not with the Standard Mark. Our Receipt No. AA51PC2026000776 dated 15.06.2026 for the licence fee and the minimum marking fee for the first operative period is already *issued/enclosed/being sent separately.
5. यह अग्रिम न्यूनतम अंकन शुल्क प्रत्येक अवसर पर अगले वर्ष के लिए आगे स्थानांतरित किया जाएगा। उत्पादन पर अंकित मात्रा के आधार पर इकाई दर से गणना किया गया वास्तविक अंकन शुल्क अथवा न्यूनतम अंकन शुल्क, जो भी अधिक होगा, वह एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व आपको प्रतिवर्ष देय होगा। वास्तविक अंकन शुल्क की गणना के लिए उत्पादन विवरण आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
This advance minimum marking fee will be carried over to the next year on every occasion. The actual marking fee calculated on the unit rate on the production marked or the minimum marking fee, whichever is higher shall be payable by you annually before completion of one year period. Production statement is required to be furnished by you for calculation of actual marking fee.
6. अंकित मात्रा के प्रतिवेदन, इकाई दर के आधार पर अंकन शुल्क की गणना तथा उसके संग्रह को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, अनुमति-पत्र के संचालन के प्रथम वर्ष में अंकन शुल्क की गणना अनुमति-पत्र के संचालन के पहले नौ महीनों के दौरान अंकित उत्पादन के आधार पर की जाएगी। प्रथम वर्ष के बाद, वास्तविक अंकन शुल्क की गणना के लिए बारह महीनों की अवधि ली जाएगी, जिसमें पिछले संवर्धित वर्ष के अंतिम तीन महीने तथा वर्तमान संचालित वर्ष के पहले नौ महीने शामिल होंगे। यदि अनुमति-पत्र निरस्त हो जाता है या उसकी अवधि समाप्त हो जाती है, तो निरस्तीकरण अथवा समाप्ति की तिथि तक का समस्त अंकित उत्पादन देय अंकन शुल्क की गणना के लिए लिया जाएगा।
With a view to streamlining the reporting of quantity marked, calculation and collection of marking fee on the unit rate basis, fees will be calculated on the production marked during the first nine months of operation of the licence. After first year, production marked during twelve months comprising the last three months of the previous operative year and the first nine months of the current operative year will be taken for calculation of actual marking fees. In case the licence gets cancelled or expires, the entire production marked till the cancellation or expiry date shall be taken into account for calculating the marking fee payable.
7. यदि उत्पादन विवरण तथा/अथवा वार्षिक शुल्क निर्धारित समय सीमा के भीतर (अर्थात् एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले) प्राप्त नहीं होता है, तो अनुमति-पत्र 90 दिनों की अवधि के लिए निलंबित अथवा स्थगित माना जाएगा। इन 90 दिनों की अवधि के दौरान आवश्यक जानकारी तथा शुल्क के साथ ₹ 5,000 के विलंब शुल्क सहित प्रस्तुत करके अनुमति-पत्र को पुनः प्रभावी बनाया जा सकता है। अन्यथा अनुमति-पत्र निरस्त अथवा समाप्त माना जाएगा।
If the production statement and/or annual fees is not received within timelines (i.e. before completion of the one-year period), then the licence shall stand suspended or deferred for 90 days duration. During the period of these 90 days, the requisite information with fee accompanied with late fee of ₹ 5,000 can be submitted to make the licence operative. Otherwise, the licence shall stand cancelled or expired.
8. आपके द्वारा प्रस्तुत तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वीकृत गुणवत्ता आश्वासन योजना अथवा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट निरीक्षण और परीक्षण योजना को आपके संगठन द्वारा सख्ती और पूर्ण रूप से लागू करना आवश्यक होगा। इस योजना के संचालन की देखरेख आपके संगठन में गुणवत्ता नियंत्रण कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा की जाएगी। कृपया उस व्यक्ति का नाम और पदनाम हमें सूचित करें जो इस योजना के संचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। इस संबंध में भविष्य में होने वाले किसी भी परिवर्तन की सूचना आपको हमें समय-समय पर अवश्य देनी होगी।
The Quality Assurance Plan (QAP) submitted by you and agreed by BIS or the Scheme of Inspection and Testing as specified by BIS* will have to be implemented by your organisation strictly and completely. This supervision of the operation of the Scheme shall be done by a person responsible for the quality control function in your organisation. Kindly inform us the name and designation of the person who will be held responsible for the operation and maintenance of the Scheme. Any future change in this respect will have to be communicated by you to us as and when these take place.
9. हम मानक मार्क के मुख्य आयामों को स्पष्ट करने वाली एक शीट संलग्न कर रहे हैं ताकि आप किसी भी आकार में उपरोक्त उत्पाद का फोटोग्राफिक बदल कर चिह्नित करने के लिए मानक मार्क का डिजाइन तैयार कर सकेंगे। यह बनाए गए विभिन्न आयामों के सापेक्ष अनुपात को सुनिश्चित करेगा। जहां तक संभव हो मुख्य आयामों का उपयोग किया जाए।
We are enclosing a sheet giving the preferred dimensions of the Standard Mark to enable you to prepare the designs of the Standard Mark for marking the above product. Photographic reduction in any size is permissible. This will ensure the relative proportions of the different dimensions maintained. Preferred dimensions be used as far as possible.

10. अपने उत्पाद के मुहरांकन के प्रारंभ होने पर जिसके लिए आपको लाइसेंस प्राप्त है, आप अपने लाइसेंस की वैधता के दौरान ही विभिन्न मीडिया में मानक मार्क के साथ अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं। लेटरहेड और प्रचार साहित्य पर मानक मार्क के उपयोग की अनुमति केवल आपके आश्वासन की प्राप्ति पर दी जाएगी कि आपके लाइसेंस को रद्द करने या समाप्त होने की स्थिति में आपके लेटरहेड, प्रचार साहित्य आदि पर मानक चिह्न नष्ट/काटना होगा।

On commencement of marking of your product for which you are licensed, you may advertise your product with Standard Mark in various media only during the validity of your licence. The use of Standard Mark on letterheads and publicity literature will be permitted only on receipt of your assurance that in the event of cancellation or lapsing of your licence, the Standard Mark on your letterheads, publicity literatures etc. will be destroyed/obliterated.

11. यह लाइसेंस पपियापारा, नियर देवदामल रोड, घोघोमली, सिलीगुड़ी, धुगुमालि, जिला - जलपाईगुड़ी - 734006, पश्चिम बंगाल, भारत में स्थित आपके कारखाने के लिए प्रदान किया जाता है। लाइसेंस के तहत विशेषाधिकारों का प्रयोग किसी अन्य फर्म कंपनी/कारखाना आदि द्वारा नहीं किया जाएगा। जब तक नए परिसरों का निरीक्षण नहीं किया जाता है तब तक यह लाइसेंस लाइसेंस प्राप्त परिसरों से किसी अन्य स्थान पर विनिर्माण और परीक्षण उपकरणों को स्थानांतरित करने की स्थिति में हस्तांतरणीय नहीं है, और वहां उपलब्ध विनिर्माण और परीक्षण सुविधाओं के संबंध में हमारे द्वारा संतोषजनक पाए जाने तक मानक मार्क का उपयोग बंद कर दिया जाएगा और लाइसेंस में नए परिसरों के पते पृष्ठान्तित है।

This licence is granted for your factory situated at PAPIYAPARA, NEAR DEWDAMAL ROAD, GHOGHOMALI, SILIGURI, DHUGUMALI, DISTRICT- JALPAIGURI - 734006, WEST BENGAL, INDIA. Privileges under the licence shall not be exercised by any other firm company/factory etc. This licence is not transferable in the event of shifting the manufacturing and testing equipment from the licensed premises to some other place. Use of Standard Mark shall be stopped till the new premises are inspected and found to be satisfactory by us in respect of Manufacturing and Testing Facilities Available There and The Address of the New Premises Is Endorsed in the Licence.

12. आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप खुद को और अपने संगठन के अन्य कर्मचारियों को पिछले बीआईएस अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में जागरूक करें, विशेष रूप से किसी भी जानबूझकर या अनजाने में गैर-अनुपालन के मामले में निहितार्थ।

You are also advised to make yourself and other employees in your organisation aware about the previous of the BIS Act, 2016 and Rules and Regulations framed thereunder especially the implications in case of any intentional or unintentional non-adherence.

13. यह ध्यान दिया जाए कि यह अनुमति-पत्र आपके द्वारा दिए गए प्रतिज्ञा-पत्र के आधार पर प्रदान किया गया है। यदि दीर्घ अवधि परीक्षण में नमूना मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, या प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण प्रतिवेदन की पुष्टि की तिथि से तुरंत अथवा अधिकतम 30 दिनों (एक माह) के भीतर आप परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो अनुमति-पत्र को रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

It may be noted that this licence is granted based on undertaking that in the event of non-conformity of the sample in long duration test(s) or your inability to submit the test report immediately but not later than 30 days (one month) from the date of test report confirmed by the laboratory, the licence shall be processed for cancellation. (Applicable for GoL with undertaking for long duration test).

14. यह नोट किया जाता है कि यह लाइसेंस विकल्प 2 के तहत दिया गया है जो इस शर्त के अधीन है कि यदि लाइसेंस प्रदान करने से पहले सत्यापन यात्रा के दौरान बीआईएस द्वारा 07.07.2026 को लिए गए नमूने प्रासंगिक भारतीय मानक (किसी भी आवश्यकता में), की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं, लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा, और यदि एक महीने के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई के बाद नया नमूना पेश नहीं किया जाता है या नया नमूना प्रासंगिक भारतीय मानक की आवश्यकता के अनुरूप विफल रहता है, तो किसी भी आवश्यकता में, लाइसेंस होगा रद्द करने के लिए संसाधित किया जा सकता है।

It may be noted that this licence is granted under option 2 which is subject to the condition that if samples drawn on 07.07.2026 by BIS during the verification visit before grant of licence, fail to conform to the requirements of relevant Indian Standard (in any requirement), the licence shall be put under suspension, and in case fresh sample after corrective action is not offered within one month or fresh sample fails to conform to the requirement of relevant Indian Standard, in any requirement, the licence shall be processed for cancellation (Applicable for GoL under option 2).

धन्यवाद/Thanking You,

पदांकित प्राधिकारी का हस्ताक्षर/Signature of Designated authority

नाम: सव्यसाची धर

Name: Sabyasachi Dhar

पदनाम: वरिष्ठ निदेशक और प्रमुख

Designation: Senior Director & Head

HKKBO

27/07/26

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति
Licence for the use of STANDARD MARK

लाइसेंस सं. सीएम/एल- 5100294494
Licence No. CM/L – 5100294494

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मेसर्स तिरुपति फेंस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
पपियापारा , नियर देवदामल रोड , घोघोमली ,
सिलीगुड़ी , घुगुमालि ,
जिला - जलपाईगुड़ी - 734006,
पश्चिम बंगाल, भारत

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट मानक चिह्न का इस अनुसूची के तीसरे स्तंभ में दी गई किस्मों पर, उपयोग करने के लिए यह अनुज्ञप्ति प्रदान करती है। इन उत्पादित किस्मों पर चिह्न का उपयोग उक्त अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में समय-समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित/संदर्भित संबंध **भारतीय मानक (मानकों)** के अनुसार/अनुरूप विनिर्मित हो

By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 2016 (13 of 2016) the BUREAU hereby grants to

M/S TIRUPATI FENCE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
PAPIYAPARA, NEAR DEWDAMAL ROAD, GHOGHOMALI,
SILIGURI, GHUGUMALI,
DISTRICT- JALPAIGURI - 734006,
WEST BENGAL, INDIA

(hereinafter called 'the Licensee') this Licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended.

2. इस अनुज्ञप्ति में अनुबंध अनुज्ञप्ति की शर्तों के लिए अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायि हैं। यह अनुज्ञप्ति पहली अनुसूची में यथा उल्लिखित नाम, कारखाना के पते और अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे स्कीम-I में निर्दिष्टानुसार नवीकृत कराया जा सकता है।

2. This licence carries the obligations on the part of licence as condition of licence which are given in Annexure attached herewith. The licence shall be valid for the name, factory address and period as mentioned in the schedule and may be renewed as specified in the scheme-I.

अनुसूची
SCHEDULE
अनुज्ञप्ति सं सीएम/एल - 5100294494
Licence No.CM/L- 5100294494

नाम : तिरुपति फेंस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
फैक्ट्री पता पपियापारा , नियर देवदामल रोड , घोघोमली ,
सिलीगुड़ी , घुगुमालि ,
जिला - जलपाईगुड़ी - 734006
पश्चिम बंगाल, भारत
विधिमान्यता : 15.07.2026 से 14.07.2031
Name: TIRUPATI FENCE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
Factory Address PAPIYAPARA, NEAR DEWDAMAL ROAD, GHOGHOMALI,
SILIGURI, GHUGUMALI,
DISTRICT- JALPAIGURI - 734006,
WEST BENGAL, INDIA
Validity: 15.07.2026 To 14.07.2031

मानक चिह्न STANDARD MARK	भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S)	अनुज्ञप्ति का विषय क्षेत्र SCOPE OF LICENSE	चिह्नांकन शुल्क MARKING FEE
(1)	(2)	(3)	(4)
IS 4948 	IS 4948:2020. Welded Steel Wire Fabric for General Use	Welded Steel Wire Fabric for General use. Material of wire: Mild steel wire	एक वर्ष की प्रचालन अवधि के दौरान न्यूनतम मुहरांकन फीस ₹ 43000.00 के साथ सभी इकाईयों के लिए ₹ 30.00 प्रति इकाई । इकाई: 1 TON RS. 30.00 per unit for all units with a Minimum Marking Fee of Rs. 43000.00 during an operative period of one year Unit: 1 TON एक प्रचालन वर्ष के लिए न्यूनतम चिह्नांकन शुल्क अग्रिम में देय होगी जो अगले नवीकरण में अग्रणीत होगी। Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s).

आज सताइस जुलाई दो हजार छब्बीस को हस्ताक्षरित तथा मोहरबंद किया गया ।
Signed, Sealed and Dated this Twenty Seventh of July of Two Thousand Twenty-Six.

कृते भारतीय मानक ब्यूरो
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

HKKBO


(Sabyasachi Dhar)
Senior Director & Head

उपबंध
(अनुज्ञप्ति स. सीएम/ एल - 5100294494)

अनुज्ञप्ति की शर्तें

- (1) मानक चिन्ह का डिजाइन अनुज्ञप्ति में दी गई गई प्रतिकृति के आनुषंगिक होगा।
- (2) मानक चिह्न के फोटोग्राफिक विस्तार अथवा लघुकरण का उपयोग भी किया जा सकता है, जब तक ब्यूरो द्वारा कोई अन्य विनिर्दिष्ट न दिए गए हो।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी उस संबंध माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा की भारतीय मानक के अनुसार अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिए मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग किया गया है।
- (4) अनुज्ञप्तिधारी उस माल, वस्तुओं, प्रक्रिया प्रणाली अथवा सेवा के लिए मानक चिन्ह का उपयोग नहीं करेगा, जो गैर-अनुरूप अथवा अनुज्ञप्ति के विषय-क्षेत्र से बाहर है।
- (5) जिस माल और वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह का उपयोग किया गया है अगर वे संबंध मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, तो ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को ऐसे गैर-अनुरूपता वाले माल को वापिस लेने का निर्देश दे सकता है।
- (6) अनुज्ञप्ति के आस्थगन अथवा निलंबन के दौरान अथवा उसकी समाप्ति अथवा रद्द होने के पश्चात् किसी संबंध माल वस्तु प्रक्रिया उपयोग अथवा सेवा के लिए मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (7) अनुज्ञप्तिधारी को उस अनुरूपता आकलन योजना के उपाबंधों का पालन करना होगा, जिसके अंतर्गत उसे अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है, जिसमें लेबलिंग और चिन्हांकन अपेक्षाएं भी शामिल हैं।
- (8) अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अभिलेख अनुरक्षित रखेगा।
- (9) अनुज्ञप्तिधारी अपने परिसरों में निरीक्षण अथवा लेखापरीक्षा करने के संबंध में सभी सहायता प्रदान करेगा और इस तरह की सहायता में ऐसे नमूने भेजना शामिल होगा, जिन्हें प्रमाणन अधिकारी द्वारा नामित कार्यालय या प्रयोगशाला में चिह्नित और सील कर दिया गया है और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा नमूना निरीक्षण, लेखा परीक्षा या मूल्यांकन की तारीख से सात दिनों के भीतर नामित कार्यालय या प्रयोगशाला को भेजा गया है।
- (10) अनुज्ञप्तिधारी उत्पाद और मानक चिन्ह के उपयोग अथवा अनुप्रयोग से संबंधित जानकारी जब अपेक्षा ब्यूरो को प्रदान करेगा।
- (11) यदि माल अथवा वस्तुओं पर मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया हो तो अनुज्ञप्तिधारी को उन परेषिती, वितरकों, व्यापारी अथवा फुटकर विक्रेता की सूची देनी होगी, जिनको मानक चिन्ह वाले माल अथवा वस्तुओं की आपूर्ति की गई है।
- (12) ब्यूरो के अनुमोदन के बिना अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जाएगा।
- (13) मानक चिन्ह वाले किसी माल, वस्तुओं, प्रक्रिया प्रणाली अथवा सेवा से संबंधित शिकायत प्रमाणित होने पर ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को मानक मुहरांकित माल और वस्तुओं की मरम्मत अथवा बदलने अथवा पुनर्निर्माण के निर्देश दे सकता है।
- (14) अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम एक माह के नोटिस दे कर ब्यूरो, अनुज्ञप्ति की किसी शर्त को संशोधन का अधिकार रखता है।

Annexure
(Licence No.CM/L- 5100294494)

Conditions of the licence

- (1) The design of Standard Mark shall be identical to the facsimile given in the licence.
- (2) The photographic enlargement or reduction of the Standard Mark may also be used, unless otherwise specified by the Bureau.
- (3) The licensee shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to the Indian Standard in relation to which Standard Mark is used or applied.
- (4) The licensee shall not use the Standard Mark in relation to goods, articles, process, system or service which are non-conforming or outside the scope of the licence.
- (5) If goods and articles in relation to which a Standard Mark has been used do not conform to the requirements of the relevant standard, the Bureau may direct the licensee or his representative to recall such non-conforming goods.
- (6) The Standard Mark shall not be used or applied in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, or, after expiry or cancellation of the licence.
- (7) The licensee shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which licence is granted, including labelling and marking requirements.
- (8) The licensee shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.
- (9) The licensee shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises and such assistance shall include sending samples which have been marked and sealed by the certification officer to the designated office or laboratory and ensuring that such sample is dispatched to the designated office or laboratory within seven days from the date of inspection, audit or evaluation.
- (10) The licensee shall provide information relating to production and use or applying of Standard Mark as and when it is required by the Bureau.
- (11) If the licence is granted to use or apply Standard Mark on goods or articles, the licensee shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to whom goods or articles with Standard Mark is supplied.
- (12) The licence shall not be transferred to any person without approval of the Bureau.
- (13) If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service bearing Standard Mark is established, the Bureau may direct the licensee or his representative to repair or replace or reprocess the standard marked goods and articles.
- (14) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of licence by giving a notice of not less than one month to the licensee.

ANNEX 5

(Clause 2.6.2 & 2.9.3)

PREFERRED DESIGNS OF MONOGRAM FOR STANDARD MARK

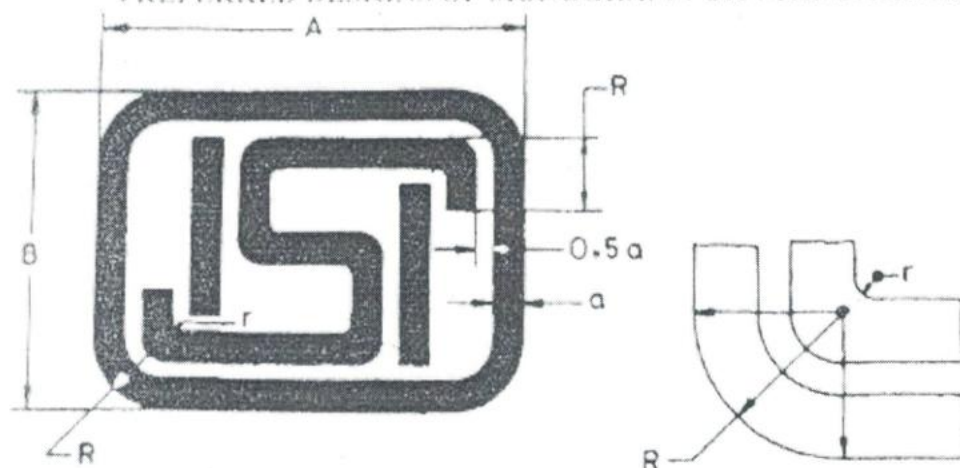


FIG. 1 MONOGRAM FOR STANDARD MARK

The monogram of the Standard Mark consists of the pictorial representation, drawn in the exact style as indicated in Fig. 1 and in relative proportions as given in Table I.

Table I Preferred Dimensions of Monogram
All dimensions in millimeters

ϕ	B	a	R	r	SIZE OF LETTERS
2.5	1.9	0.2	0.4	-	1.0 mm
5	3.8	0.4	0.8	0.1	1.0 mm
10	7.5	0.7	1.7	0.2	2.0 mm
20	15	1.5	3.3	0.5	3.0 mm
40	30	2.9	6.7	1.0	4.0 mm
80	60	5.9	13.4	1.9	6.0 mm
160	120	11.7	26.7	3.8	10.0 mm
320	240	23.4	53.4	7.6	16.0 mm